

## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001  
jdajodhpur.rajasthan.gov.in में गैरिक <http://email::jdajodhpur@rajasthan.gov.in> phone no- 0291 2612088, 0291 2656366 फ़ि 0291 261637

क्रमांक:- 925

दिनांक:- 20/05/17

### :: अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या/अभियांत्रिकी 04/2017-18 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरेमेंट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑन लाइन निविदाएं आमतौर पर प्राप्त होती हैं। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एवं अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाइन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जागा करसी आवश्यक है।

### महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाइन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 21.04.17 व समय 4.30 P.M.
2.	ऑनलाइन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 03.05.17 व समय 6.00 P.M.
3.	ऑनलाइन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 21.04.17 व रात 4.30 P.M.
4.	ऑनलाइन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 03.05.17. व समय 6.00 P.M.
5.	निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 04.05.17.व समय 1.30 P.M.
6.	ऑनलाइन निविदा की तकनीकी छिड खोलने की दिनांक व समय	01	दिनांक 04.05.17 व समय 4.30 P.M.

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	शाला क्रिडा संगम गौशाला गैदान में रिथिट सिन्थेटिक ट्रैक के बाहर वाटर सप्लाई लाइन स्टेप्स एवं शौचालय इत्यादित कार्य।	21.65	43,300/-	500/-	3 माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- निविदा की प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी :-  
किसी भी सीमा तक रुपये 300.00 लाख तक रुपये 150.00 लाख तक रुपये 50.00 लाख तक
- निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सामूर्ध्य नहीं खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- निविदा प्रक्रिया :-  
कार्य संडरकार्य असेसमेंट 100 लाख से 500 लाख तक 100 लाख से 200 लाख तक 200 लाख से 1000 लाख तक
- कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जरिये डिमांड, ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक से ऑनलाइन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/- 50 लाख से ऊपर 1000/-	डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

- प्रदत्त दरे निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिया है। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में आपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संघोषण करता है अथवा अपनी निविदा बापरा ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जाबा कर ली जायेगी।
- यदि संवेदक की निविदा अथवा अपनी प्रक्रिया कार्य से संबंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदव्याप्ति हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

10. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रधासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की कमचारियों के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त कार्यवाही के लिए कार्य नहीं कर सकेगे। यदि संवेदक अथवा उसके रोपये लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
11. इस कार्य की दोष निवारण व उनके सुधार (Defect Liabilities Period) की अवधि 01 साल रहेगी। निवादाता को निवादा भरते रामग्राम साथ में निवादा शुल्क, घरेहर साझे, ई-टैण्डरिंग शुल्क Enlistment व Tax Clearance Certificate की प्रति को रखें कर लगाना अनिवार्य है।
12. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 202 पिनाक 14.05.12 के अनुसार उक्त निवादाओं में न्यूनतम दर से अंतर राशि के समकक्ष परकोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करने के पश्चात ही स्थीकृत निवादा का कार्यदेश दिया जायेगा।
13. किसी भी निवादा वारे रखीकार करने एवं बिना कारण बताये निररत करने के समर्त अधिकार निमनाहताशरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त इरात उस सीमा तक मान्य/लागू होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
14. वित्त विभाग के आदेश सख्त एठ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ५ आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (संकुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50,00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50,00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट यो बैंकर बैंक मैनेजिंग
15. नैगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
16. निवादा शुल्क निमानुसार निर्धारित है :-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000

17. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित गशीनी जो निवादा की स्पेशल कण्डशन में दर्ज है, को रख्य के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
18. संवेदक को ऑन लाईन निवादा के साथ संबंधित विभिन्न अधिकारियों से जारी विक्रय कर वलीयरेन्स प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निवादा पर विवाद नहीं किया जायेगा।
19. ई-टैण्डरिंग के लिए निवादाता हेतु निर्देश :-
- इन निवादाओं में दिलचस्पी लेने वाले निवादाताओं निवादा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> देख/आउनलोड कर सकते हैं।
  - निवादाओं में भाग लेने वाले निवादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निवादा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनकोरेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना एजेन्टी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निवादाताओं के पास पूर्ण में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट हैं तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - निवादाताओं को निवादा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले गोतिक फॉर्म से स्पीकर्य नहीं होगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक निवादा प्रपत्रों को जमा करने से पूर्व निवादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निवादा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्फूर्ति कर दी गयी है।
  - कोई भी टैण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा करने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
  - टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को रामपूर्ण रूप से भरकर जॉन लाईन दर्ज करें।
20. निवादाते राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अकिञ्चन समस्त प्रावद्यान/बधन उस सीमा तक ही लागू होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों कि विकल्प नहीं हों।
21. संवेदक द्वारा प्रत्युत दी गयी दरे एक वर्ष सक मान्य रहेही।
22. वर रवीष्टि उपरान्त संवेदक को वर्ष पर्यन्त अलग-अलग कार्य रथन विवाद का उपलब्धता के अनुसार कार्यदेश जारी किया जायेगा।
22. निवादा के साथ अनुमनक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।


  
20/6/17  
अधिकारी अभियंता (जोन-मुख्यालय)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

दिनांक : 20/6/17

क्रमांक : ९२६ - ८४

प्रतिलिपि वार्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी साधिय/अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निजी साधिय/आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- राजिय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी प्रधन/हितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- राजायक लेखाधिकारी/प्रधन/हितीय/तुरीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.वि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
- अधिकारी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/दक्षिण /उत्तर/ आर.ओ.वी./पी.एच.इ./विद्युत, जो वि.प्रा. जोधपुर।
- कैशियर /नेटिस बोर्ड।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
- एगालिस्ट कम प्रोग्राम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निवाद का <http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, [www.jodhpurida.org](http://www.jodhpurida.org) एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।
- ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रोकेंट एरोसियेशन /ठेकेदार संघ रिहायील जो.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार संघ/.....।

  
20/6/17  
अधिकारी अभियंता (जोन-मुख्यालय)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर